File No.81-7005(099)/216/2020-07-,

संख्या–1011/81–7–2021–09(रिट)/2016

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2– **समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/संयोजक,**
जिला पर्यावरण समिति, उ0प्र0।

3– **समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,**
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु–7 **लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 2021**

विषय–औद्योगिक इकाईयों में जल/वायु सहमति की शर्त के अनुसार 'मियावाकी पद्धति' पर वृक्षारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर्यावरण अनुभाग–2 (सम्प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7), उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–71/55–2–2018–09(रिट)/2016, दिनांक 27.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं कार्बन ऑफसेटिंग्स हेतु ग्रीन बेल्ट का विकास किये जाने के सम्बन्ध में प्रोटोकाल निर्गत किये गये थे। प्रश्नगत प्रोटोकाल में औद्योगिक इकाईयों में ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु भी विस्तृत गाइडलाइन समावेशित की गयी थी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त आधार पर वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से कराये जाने सम्बन्धी शर्त उद्योगों को दी जाने वाली सहमति में अधिरोपित भी की जा रही है।

2– इसी क्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'मियावाकी पद्धति' पर वृक्षारोपड़ किये जाने की दृष्टि से "स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर (SOP)" का विकास किया गया है जो कि उ0प्र0 सरकार की वेबसाईट http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि उद्योगों से जनित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु "मियावाकी पद्धति" वृक्षारोपण अत्यन्त ही प्रभावी है, क्योंकि इन वृक्षारोपणों में वायु प्रदूषण कारक के अवशोषण की क्षमता लगभग 10 गुना अधिक होती है तथा स्थानीय प्रजातियों का प्राकृतिक रूप से उचित अनुपात में चयन कर रोपण किये जाने के फलस्वरूप उनका द्रुत गति से विकास होता है। इन वृक्षारोपणों में वृक्षों/वनस्पतियों का सघन रोपण एवं विकास होने के दृष्टिगत इनमें कार्बन अवशोषण की क्षमता भी सामान्य वृक्षारोपणों से अधिक होती है। चूंकि पूर्व से स्थापित औद्योगिक इकाईयों में वृक्षारोपण हेतु स्थल की उपलब्धता सीमित होती है। अतः इन इकाईयों में उपलब्ध स्थलों पर "मियावाकी पद्धति" आधारित वृक्षारोपण कराया जाना प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से प्रभावी एवं श्रेयस्कर है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक इकाईयों में ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने सम्बन्धी सहमति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत इकाईयों के परिसर में उपलब्ध स्थलों पर "मियावाकी पद्धति" आधारित वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से कराया जाय। इस कार्य हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों की सूची स्थल विवरण एवं कार्ययोजना सहित सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी उद्योगों में "मियावाकी पद्धति" आधारित वृक्षारोपण किये जाने का गहन अनुश्रवण करेंगे तथा आवश्यकतानुसार उद्योगों को तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध करायेंगे। उद्योगों द्वारा सहमति

की शर्तों एवं उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी की अनुशंसा पर सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उद्योग की सहमति रिवोक किये जाने की कार्यवाही भी की जाय, ताकि उद्योगों में निर्धारित शर्तों के अनुरूप वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं कार्बन ऑफसेटिंग हेतु वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित हो सके। मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त निर्देशों के अनुपालन की नियमित समीक्षा भी की जाय।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1011(1)/81–7–2021–09(रिट)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–जी–36570/ UPPCB/ CL/418/वृक्षारोपण/2021, दिनांक 12.10.2021 के संदर्भ में।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0एल0 वर्मा)
संयुक्त सचिव।

Signed by मनोज सिंह
Date: 13-10-2021 14:40:53
Reason: Approved